स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय मद

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0–3जी/अजाविनि–51–02/2024– 120

प्रेषक,

संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीर चन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक– 19/08/2026

विषयः–स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के सहायक अनुदान गैर वेतन मद से बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC), नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये टर्म लोन के बकाये मूल राशि की एकमुश्त अदायगी हेतु कुल ₹21,95,00,000/– (इक्कीस करोड़ पंचानवे लाख रूपये) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेशः–स्वीकृत।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आय अर्जित कराने वाली परियोजनाओं हेतु रियायती दर पर ऋण एवं अनुदान प्रदान करना एवं रोजगारोन्मुखी ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

2–बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (BSSCCDC), को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC), नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2014 तक कुल ₹28,33,00,000/– (अठाईस करोड़ तैंतीस लाख रूपये) मात्र विभिन्न अनुदान योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु टर्म लोन के रूप उपलब्ध कराया गया था।

3–टर्म लोन में प्राप्त राशि का वितरण करते हुए ऋण वसूली कर अबतक कुल ₹12,08,00,000/– (बारह करोड़ आठ लाख रूपये) बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली को वापस किया गया है।

4– बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0, पटना द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC), नई दिल्ली से विभिन्न अनुदान योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु टर्म लोन के रूप में प्राप्त राशि का ससमय पुनर्भुगतान नहीं किया जा सका फलस्वरूप NSKFDC द्वारा दिनांक–30.06.2024 तक सूद/विलम्ब शुल्क सहित ₹29,27,00,000/–(उनतीस करोड़ सताईस लाख रूपये) मात्र बकाया भुगतान करने का अनुरोध किया गया । भारत सरकार द्वारा इस भुगतान विवाद के निपटारे हेतु Committee of Secretaries (CoS) का गठन किया गया ।

Committee of Secretaries (CoS) की दिनांक–17.09.2024 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 द्वारा कुल–29.27 करोड़ रूपये बकाया राशि के विरूद्ध 21.95 करोड़ मूलधन की राशि का भुगतान एकमुश्त अदायगी के रूप में NSKFDC को किये जाने पर मूल धन को स्थिर रखते हुए आगे सूद की गणना नहीं की जायेगी।

5–उक्त निर्णय के आलोक में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0, पटना के पास राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण ऋण दायित्वों के समाधान हेतु राज्य निधि से मूलधन की राशि ₹21,95,00,000/–(इक्कीस करोड़ पंचानवे लाख रूपये) मात्र राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC), नई दिल्ली को वापस किया जाना है।

6– अतः राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से विभिन्न अनुदान योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु टर्म लोन के रूप में प्राप्त राशि की Recovery नहीं होने एवं अजाविनी के पास राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण ऋण दायित्वों के समाधान हेतु राज्य निधि से मूलधन की राशि 21.95 करोड़

(इक्कीस करोड़ पंचानवे लाख रूपये) मात्र राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC), नई दिल्ली को एकमुश्त अदायगी के तहत भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7–उक्त भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के मांग सं0–44, मुख्य शीर्ष–2225, अनु0 जातियों, अनु0 जनजातियों, अन्य पिछड़ों वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–01 अनु0 जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष–190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों की सहायता, उप शीर्ष–0001 बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना, विषय शीर्ष–0001 3106 सहायक अनुदान गैर वेतन, विपत्र कोड–44–2225–01–190–0001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

8–उक्त राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–अवर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे राशि की निकासी कर बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना के पी0 एल0 खाता सं0–PTSPLA020 में हस्तांतरित करेंगें। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना द्वारा नियमानुसार राशि का व्यय किया जाएगा।

9–राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/4/98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के तत्काल बाद विभाग को भेजा जायेगा।

10–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे। राशि के व्यय की पूर्ण जिम्मेवारी बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना की होगी। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नही किया जायेगा।

11–प्रस्ताव पर दिनांक–16.03.2026 को लोक वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त है(कार्यवाही ज्ञापांक–270/लो0वि0 दिनांक–17.03.2026)।

12–प्रस्ताव पर दिनांक–17.06.2026 को मंत्रिपरिषद की बैठक मद सं0–01 पर स्वीकृति प्राप्त है।

13–इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से संचिका सं0–3जी/अजाविनि– 51–02/2024 के माध्यम से सहमति प्राप्त है।

14–इस संबंध में पूर्व से निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0–72 दिनांक–25.06.2026 को निरस्त किया जाता है।

15–सभी संबंधित को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

17.08.26

(संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/जी अजाविनि–51–02/2024– 120 पटना, दिनांक– 19/08/2026

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अपर मुख्य सचिव/सचिव /वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ पेषित।

3. माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

4. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी, वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC), नई दिल्ली एवं बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।